

## D - अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश -

1. काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन / प्रमाण-पत्र सत्यापन / अध्ययन केन्द्र आबंटित करा लेने मात्र से अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं हो जाते हैं। स्थान रिक्त रहने तक ही मैरिट क्रम से अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।
2. निर्धारित दिनांक व समय पर पाठ्यक्रम शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन एवं अध्ययन केन्द्र/ सीट आबंटन स्वमेव समाप्त हो जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी , तत्पश्चात् नीचे के क्रम के (मेरिट क्रम से) अभ्यर्थियों द्वारा सीट भर ली जावेगी। एक बार जिनको सीट आबंटित हो चुकी एवं उनके द्वारा प्रवेश नहीं लिया गया तो ऐसे छात्र काउंसिलिंग की आगामी किसी भी चरण की प्रक्रिया में (फेस-टू-फेस में भी) शामिल नहीं हो सकेंगे।
3. बी.एड. प्रथम वर्ष में प्रवेश छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण नियमानुसार दिया जावेगा। कुल 500 सीटों में सभी वर्ग - अनारक्षित , अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सभी संवर्ग - महिला , विकलांग , स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं भूतपूर्व सैनिक समाहित होंगे। बी.एड. प्रथम वर्ष में प्रवेश छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण नियमानुसार दिया जावेगा।  
कुल 2400 डी.एल.एड सीटों में सभी वर्ग - अनारक्षित , अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सभी संवर्ग - महिला , विकलांग , स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं भूतपूर्व सैनिक समाहित होंगे।
- 4 (क) अभ्यर्थी को आरक्षित वर्ग एवं संवर्ग का लाभ उनके द्वारा प्रवेश परीक्षा के दौरान ओ.एम.आर. शीट में किये गये उल्लेख (लगाये गए गोले) के आधार पर ही मिलेगा। अगर किसी अभ्यर्थी ने ओ.एम.आर. शीट में अपने वर्ग अथवा संवर्ग का उल्लेख नहीं किया है तो उसे अनारक्षित ही माना जायेगा।  
(ख) किसी भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को अनारक्षित सीट अथवा आरक्षित सीट में से कोई एक सीट ही मिलेगी। अभ्यर्थी के वर्ग का निर्धारण उसके द्वारा प्रवेश परीक्षा के दौरान ओ.एम.आर. शीट में किये गये उल्लेख (लगाये गए गोले) के आधार पर ही होगा और किसी भी परिस्थिति में उसमें परिवर्तन नहीं किया जायेगा। अगर ओ.एम.आर. शीट में किये गये उल्लेख व प्रवेश परीक्षा आवेदन फॉर्म में किये गये उल्लेख में अंतर पाया गया तो उस स्थिति में वि.वि. प्रबंधन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।  
(ग) सभी वर्ग में महिला संवर्ग के तहत चयनित महिला अभ्यर्थी का चयन मेरिट क्रम में न होकर महिला संवर्ग के तहत हुआ हो और उस वर्ग में महिला संवर्ग की सीट पूर्ण हो गई हो तो महिला के स्थान पर अधिक प्राप्तांक वाले पुरुषों का चयन मेरिट क्रम से किया जावेगा।  
(घ) अभ्यर्थी को आरक्षित वर्ग एवं संवर्ग का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 5 वर्ग (Category) से तात्पर्य है - अनारक्षित (Un-reserved or UR), अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes or ST), अनुसूचित जाति (Scheduled Caste or SC) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes or OBC)।

- 6 संवर्ग (Class) से तात्पर्य है – महिला (Female or F), विकलांग (Physically Handicapped or HC/PH), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (Frighdom Fighter or FF), भूतपूर्व सैनिक (Ex Sainik or S) ।
- 7 चांस/प्रतिष्ठा से तात्पर्य है – उन अभ्यर्थियों से है जो कि जब मैरिट में चयनित छात्र किसी कारण से प्रवेश नहीं ले पाते हैं या उनका प्रवेश नहीं हो पाता है तब उनके रिक्त स्थान पर मैरिट में चयनित अभ्यर्थियों के क्रम से नीचे के क्रम अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। यदि स्थान रिक्त नहीं हो तो चांस हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों का चयन (प्रवेश) नहीं होगा। स्थान रिक्त रहने तक ही चांस हेतु अभ्यर्थियों का चयन मैरिट क्रम से होगा।
- 8 जिन अभ्यर्थियों ने अपनी अंतिम परीक्षा छ.ग. राज्य के बाहर से दी है उन छात्रों को आव्रजन शुल्क (Immigration Fees) एवं पात्रता प्रमाण पत्र हेतु रु.1100/– (ग्यारह सौ रुपये) का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। (ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश वि.वि. द्वारा पात्रता प्रदान करने तक पूर्णतः अस्थायी रहेगा। अतः ऐसे अभ्यर्थियों प्रवेश के एक माह के अंदर वि.वि. से अपना पात्रता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें )
- 9 अध्ययन केन्द्र चयन करने हेतु एक से लेकर अंतिम तक का इच्छित क्रम अनिवार्यतः डालें। काउंसिलिंग के समय अभ्यर्थी को मेरिट क्रम तथा अध्ययन केन्द्र में उपलब्ध सीटों के आधार पर सीट आबंटन किया जाएगा। अभ्यर्थी को एक महाविद्यालय में मात्र एक सीट चयन करने का अधिकार होगा। एक बार काउंसिलिंग रजिस्ट्रेशन फार्म में सीट चयन कर लेने के बाद अभ्यर्थी को अपना चयन बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- 10 प्रमाण-पत्र सत्यापन/Document Verification हेतु आगामी पृष्ठों में दी गई सूची के अनुसार प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ तथा दो सत्यापित छाया प्रतियाँ साथ लेकर अध्ययन केन्द्र जावें ( वि.वि. द्वारा घोषित अध्ययन केन्द्र में से किसी भी एक अध्ययन केन्द्र में प्रमाण-पत्र सत्यापन कराया जा सकेगा)। केवल प्रमाण-पत्र सत्यापन कराने से आपके काउंसिलिंग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाएगी सत्यापन को ऑनलाइन अपडेट कराना भी अनिवार्य है। Document Verification की प्रिंटेड पावती अवश्य प्राप्त करें।
- 11 सीट आबंटन के पश्चात पाठ्यक्रम शुल्क को आगामी पृष्ठों में दिये गये चालान फॉर्म के माध्यम से बैंक में जमा करायें। साथ ही बैंक चालान की पावती आबंटित अध्ययन केन्द्र में अनिवार्यतः अपडेट करायें। ध्यान रहें कि अभ्यर्थी के द्वारा शुल्क बैंक में जमा करा दिया गया हो किंतु निर्धारित दिनांक व समय तक आबंटित अध्ययन केन्द्र में अपडेट नहीं कराया गया तो अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि निर्धारित दिनांक व समय पर पाठ्यक्रम शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन एवं अध्ययन केन्द्र/ सीट आबंटन स्वमेव समाप्त हो जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी, तत्पश्चात् नीचे के क्रम के (मेरिट क्रम से) अभ्यर्थियों द्वारा सीट भर ली जावेगी।
- 12 प्रथम चरण की काउंसिलिंग के पश्चात स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही द्वितीय चरण की काउंसिलिंग का आयोजन किया जावेगा। द्वितीय चरण की काउंसिलिंग के विषय में समस्त जानकारी वि.वि. की वेबसाइट पर दी जायेगी।